क्रम संख्या 592

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

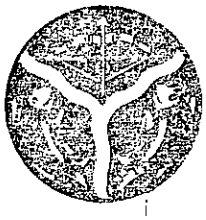

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 22 सितम्बर, 1982

भाद्रपद 31, 1904 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 2647/सत्रह-वि0-1--1(क)-4--82

लखनऊ, 22 सितम्बर 1982

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 15 सितम्बर, 1982 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1982

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, सन् 1982)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 20 फरवरी, 1982 को प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिए जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,
सचिव ।

No. 2647(2)/XVII—V-1-1-(Ka)-4- 82

Dated Lucknow, September 22, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 1982) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 15, 1982:

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAWASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1982

(U. P. Act No. 27 of 1982)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act, may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 20, 1982.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 7 of 1972.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972, in sub-section (1), *for* the words "two years", the words "three years" shall be *substituted.*

Repeal and savings,

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) (Dwitiya) Adhyadesh, 1982, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Act referred to in section 2, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

G. B. SINGH,

Sachiv.

पी० एस० डब्लू० पी०—ए० पी० 128 सा० (विधा०)—23-9-82—(1948)—1982—650 (मैके०)